

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 3/2017- एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 आषाढ़, 1939 शक

सा.का.नि. (अ) --केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 से धारा 13, धारा 16 से धारा 19, धारा 21, धारा 23 से धारा 25 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार